12/2016
अति.जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर
7

न्यायालय अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : करतारसिंह पूनियॉ, आर0ए0एस0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निगरानी पंचायत प्रकरण सं0 12/16

रामचन्द्र पुत्र श्री लालाराम जाति ब्रहामण निवासी खांटा तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

निगरानीकर्ता

बनाम

1.मंजूदेवी पत्नी श्री कलवन्त जाति जाट निवासी चक 36 पी एस हाल सरपंच ग्राम पंचायत खांटा, प0 सं0 रायसिंहनगर।
2.महेन्द्र वर्मा पुत्र नाम ना मालूम जाति वर्मा हाल ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव ग्राम पंचायत खांटा, प0 सं0 रायसिंहनगर।
3.विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रायसिंहनगर।
4.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, श्रीगंगानगर।

अप्रार्थी

उपस्थित :–
1 श्री रामचन्द्र, निगरानीकर्ता स्वंय
2. राजकीय अधिवक्ता

आदेश दिनांक : 26.4.17

संक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम पंचायत खांटा, पंचायत समिति रायसिंहनगर के अन्तर्गत गॉव खांटा की आबादी भूमि का खाता सं0 1 असहायश आबादी (खसरा सं0 193 व 229), खाता सं0 3 गली (खसरा सं0 214 व 224), 4 गुवाड़ (खसरा सं0 45) 5 जगात चौकी (खसरा सं0 53), खाता सं0 6 पायतन जोहड़ (खसरा सं0 10,48 व 50), खाता सं0 7 सरकारी दुकान (खसरा सं0 207,240 व 251) जो कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि की श्रेणी में आती है, को अप्रार्थीगण के पूर्ववर्ती द्वारा अपने हितबद्व व्यक्तियों को नियम विरूद्व आवंटित करने एवं इस बाबत राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 एवं राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 व पूर्ववर्ती अधिनियमों एवं नियमों के विरूद्व आवंटित कर दिया है, जिसके तहत खाता सं0 1 ससहायश आबादी के रूप में दर्ज है। नियमानुसार उक्त आबादी भूमि के पट्टे जारी नहीं किये जा सकते हैं। निआश्रित व्यक्ति मात्र स्वंय रहने का पात्र होता है, पट्टे

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner

जारी करने की स्थिति में राज्य सरकार से पूर्व अनुमोदन आवश्यक होता है। अप्रार्थीगण ने खसरा सं0 193 में ओमप्रकाश, भानूराम, रघुवीर,आईदान पुत्र श्री बालूराम, धपराज पुत्र श्री पुरखाराम, कृष्ण राम पुत्र खेताराम, जगदीश पुत्र खेताराम, हर लाल पुत्र खेताराम, नाथी पत्नी बीरबल, श्रवण पुत्र कानाराम, कृष्ण पुत्र कानाराम नाई, रामकुमार पुत्र खेताराम, पुरखाराम पुत्र नानकराम आदि को आंवटित कर दिया । इनमें से मात्र एक दो व्यक्ति असहाय की श्रेणी में आते हैं, शेष साधन सम्पन्न व्यक्ति हैं जो निःशुल्क आवंटन की पात्रता नहीं रखते हैं। इसी प्रकार, खसरा सं0 193 में 214 एवं 224 सार्वजनिक गली हेतु आरक्षित भूमि के रूप में दर्शायी गई है, जिसका आवंटन रिहायशी प्लाट के रूप में ओमप्रकाश, मनफूल, हजारी लाल, आसाराम, चेतराम, जगमाल, हरलाल पुत्र सुल्तान आदि को पट्टा जारी कर दिया है। खसरा सं0 222, 223 आरक्षित भूमि की श्रेणी के अन्तर्गत माफी स्कूल के रूप में आबादी भूमि में चिन्हित भूमि है, को हर लाल पुत्र सुल्तान के नाम से पट्टा जारी कर दिया गया है। इसी प्रकार खसरा सं0 229 में असहायश आबादी के रूप में रामकुमार पुत्र सदासुख पट्टा सं0 35, महेन्द्र पुत्र गोविन्द, ओमप्रकाश पुत्र नानकराम, नन्दराम, गाविन्दराम के नाम से पट्टे जारी कर दिये गये हैं। पूववर्ती ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव विजय भूषण पाहवा द्वारा वर्ष 2001 से सीमादेवी पत्नी रामस्वरूव को पट्टा सं0 4025, साहबराम, शेराराम, रणजीत पुत्र गोर्वधन पट्टा सं0 14, भागीरथ पट्टा सं0 40, 42, विनोद कुमार, मोनिका, नेतराम, सुलोचना, पट्टा सं0 4023, ताराचन्द पुत्र नंदराम, सजनादेवी पत्नी श्री दलीप, शारदा, सुभाष, ईमीलाल को पट्टा सं0 7, 1व 2 नियमविरूद्व जारी कर दिये गये हैं। इसी प्रकार बाहर के रहने वाले लोगों को भी गॉव खांटा का निवासी बता कर गलत पट्टे उनके नाम से जारी कर दिये हैं। इसी प्रकार, राम प्रताप, मदन लाल पुत्र नानूराम, प्रेमसिंह पुत्र सदासुख, तुलसी पत्नी तोलाराम, देवी लाल पुत्र चेतराम, उदाराम पुत्र भानीराम, भूपसिंह पुत्र सदासुख जो कि पूर्ववर्ती सरपंच हर लाल व सदासुख के निजी रिश्तेदार हैं जो कि अबूब शहर हरियाणा वर्तमान में पंजाब, भादरा, खैरूवाला, मटीली के निवासीगण हैं, उनको नियमविरूद्व पट्टे जारी किये गये हैं। खाता सं0 6 जोहड़ पायतन (जोहड़ की पाल) खसरा सं0 10, 48,50, खाता सं0 4 गुवाड़, खसरा सं0 45, खाता सं0 05 जगात चौकी, खसरा सं0 53 व खाता सं0 07, सरकारी दुकान, खसरा सं0 207,240,251 के रूप में सरकारी सम्पति के रूप में रिकार्ड में दर्ज है, उसका भी आवंटन व्यक्ति विशेष को कर दिया गया है। आवंटन में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। धारा 100 के अन्तर्गत निरीक्षण एवं जॉच नहीं करवाई गई है। इस प्रकार निवेदन किया है कि अप्रार्थीगण एवं उनके पद

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner

पूर्ववर्ती व्यक्तियों द्वारा किये जा रहे विधि विरूद्व एवं नियम विरूद्व कार्य को जनहित में निरस्त फरमाई जाने की कार्यवाही को अमल में लाई जा सके।

निगरानीकर्ता की ओर से कोई अधिवक्ता नियुक्त नहीं है। निगरानीकर्ता स्वंय ने एवं राजकीय अधिवक्ता ने बहस की, जो सुनी गई।

निगरानीकर्ता ने अपनी बहस बताया है कि ग्राम पंचायत द्वारा बाहर के व्यक्तियों को नियमविरूद्ध पट्टे जारी कर दिये गये हैं, जो पात्र नहीं थे। ऐसे व्यक्तियों को जारी नियमविरूद्व पट्टे निरस्त किये जाकर पात्र व्यक्तियों को आवंटित किये जावें।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया है कि निगरानीकर्ता ने जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, वह निगरानी की परिभाषा में नहीं आता है क्योंकि प्रार्थना पत्र में नियमविरूद्व आवंटन के खिलाफ शिकायत की गई है जबकि निगरानी के माध्यम से ग्राम पंचायत/पंचायत समिति के किसी विशिष्ठ आदेश/कार्यवाही/प्रस्ताव/पट्टे को कानूनी बिन्दू पर चुनौति दी जाकर अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है। हस्तगत निगरानी में ऐसे किसी विशिष्ठि आदेश/कार्यवाही/प्रस्ताव/पट्टे को चुनौति नहीं दी गई है। अतः निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निगरानी की परिधि में नहीं होने से निगरानी संधारण योग्य नहीं है।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

अवलोकन से पाया गया कि निगरानीकर्ता द्वारा जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, वह राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत पोषणीय नहीं है और न ही निगरानीकर्ता द्वारा ग्राम पंचायत/पंचायत समिति के किसी विशिष्ठ आदेश/कार्यवाही/प्रस्ताव/पट्टे को चुनौति दी गई है। निगरानीकर्ता द्वारा जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, वह ग्राम पंचायत द्वारा किये गये आवंटन के संबंध में शिकायत है। ऐसी शिकायत के उपरांत ही यह निर्धारित हो सकता है कि ग्राम पंचायत/पंचायत समिति द्वारा किया गया आवंटन विधिविरूद्व है। अतः ऐसी स्थिति में राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 के नियम 1996 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निगरानी की परिधि में न होने से खारिज किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप, निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 के नियम 1996 के अन्तर्गत पोषणीय न होने से खारिज किया जाता है।

आदेश की प्रति एवं निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विकास अधिकारी, रायसिंहनगर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के संबंध में ग्रम पंचायत के रेकार्ड की जॉच कर, यदि

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner

2016-

जॉचोपरांत नियमविरूद्व पट्टे जारी होने पाये जाते हैं तो प्रत्येक आवंटी के विरूद्व पृथक–2 निगरानी सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करें। आदेश की एक प्रति ग्राम पंचायत को भी भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 24.4.17 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/4/17

(करतारसिंह पूनिया)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner